न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **318/2011**
GCMS NO. : 2011/001958

–: वादीगण :–

1. हापूराम पुत्र बिरदाराम के का0मु0
   1/1. पप्पुराम पुत्र हापूराम
   1/2. अणदा देवी पत्नी हापूराम
   1/3. रूकमा पुत्री हापूराम
   1/4. गीता पुत्री हापूराम
   1/5. शोभा पुत्री हापूराम

   जातियान– जाट, निवासीगण– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. मिश्रीलाल पुत्र किशनलाल
2. मोहनलाल पुत्र किशनलाल

   जातियान– महाजन, निवासीगण– खराड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
3. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.29.12.2011**

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, पैरोकार सरकार राज0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 15/03/2021**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौज खराड़ी पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण में वादी की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 641 रकबा 16–03 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार काश्तकार वादी के पिता बिरदाराम वल्द रावतराम जी थे तथा हर वर्ष फसल भी बिरदाराम जी द्वारा ही बोई व भोगी जा रही थी। जिसके सबूत के रूप में खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2020 की इस वादपत्र के साथ पेश है। प्रतिवादीगण वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व ग्राम [illegible] साहूकार के थे, तथा सेटलमेन्ट के लगभग 5–7 वर्ष बाद ही ग्राम खराड़ी छोड़कर [illegible] जाकर बस गये थे, अब मौजा खराड़ी में प्रतिवादी[illegible] संख्या [illegible] 02 व उनके उत्तराधिकारी न तो कभी आये, न ही कोई रह रहे है। विवादित आरा[illegible] के एक मात्र काबिज खातेदार काबिज खातेदार काश्तकार वादी ही है एवं उससे पूर्व वादी के पिता जी बिरदाराम जी ही थे। बिरदाराम जी बिरदाराम जी का एक अन्य पुत्र यानि वादी का भाई बगदाराम जी ही थे। बिरदाराम जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible] एक अन्य पुत्र यानि वादी का भाई बगदाराम जी व उनकी पत्नी निसंतान फौत हो [illegible]ये है। तब वादी को अपने पिता जी के जीवन काल से ही इस विवादित भूमि पर बतौर मालिक व भोक्ता के रूप में कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वक्त सेटलमेन्ट के समय सेटलमेंट के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने मिलीभगत कर राजस्व रेकर्ड में उक्त विवादित आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली थी। लेकिन मौके पर कब्जा व काश्त वादी के पिता जी का ही था। प्रतिवादीगण स्वयं, उनके पूर्वज या वंशज का कभी भी इस भूमि पर कब्जा व काश्त नहीं रहा था। खतौनी बंदोबस्त में भी आराजी प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज हो गई थी। उसी क्रम में सम्वत् 2017 से लगायत वर्तमान में राजस्व रेकर्ड तक वही स्थिति चली आ रही है तथा इस भूमि का लगान भी वादी व उसके पिता जी द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है। जिसके सबूत के रूप में लगान रसीदें व समस्त चौशाला जमाबंदीयां इस विवादित आराजी की इस वादपत्र के साथ पेश है। जमाबंदी में काश्त वादी के पिता की ही दर्ज है। वादी के पिता जी बिरदाराम जी का स्वर्गवास हो चूका है। तब बिरदाराम जी के स्वर्गवास उपरान्त भी राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम हार्नें की वजह से उक्त भूमि वादी के नाम नहीं हो पाई थी। दिनांक 05.12.2011 को वादी ने हल्का पटवारी जी से सम्पर्क किया व उक्त भूमि वादी ने अपने नाम करवानें हेतू निवेदन किया तब हल्का पटवारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी दी गई व इस बाबत् कानूनी कार्यवाही करनें की हिदायत दी। वक्त सेटलमेंट के समय से ही विवादित आराजी का वादी व उसके पिता जी काबिज खातेदार काश्तकार है। लेकिन गलती से भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई थी। जिससे जरिये घोषणा के हटवाकर वादी उक्त जमीन वापस अपने नाम दर्ज करवानें का अधिकारी होनें से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित कृषि भूमि का वादी रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है, लेकिन आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनें की वजह से वादी को भारी परेशानी हो रही है। वादी अपनी भूमि की पेमाईश भी करवाना चाह रहा है। इस बाबत् हल्का पटवारी से निवेदन किया तो उन्होंन बताया कि जमीन वादी के नाम नहीं होनें की वजह से वह नाप नहीं कर सकते है तथा इस जमीन वादी से तुम्हारा कब्जा हटायेंगें जबकि ऐसा किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 03 के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारीगण, वादी का कब्जा हटा देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी व वादी प्रतिवादीगण को ऐसा हरगिज नहीं करनें देगें जिससे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी समस्त परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 03 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करनें से पूर्व [illegible] का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु वादपत्र पेश करनें में लम्बा समय लगने की सम्भावना है इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र [illegible] के समक्ष सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 05.12.2011 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्कार करनें व वादी को उनके कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि से बेदखल करनें की ऐलानिया धमकी देनें पर मुकाम खराड़ी तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। तिवादीगण की तामिल भू अभिलेख में दर्शाय पते पर नहीं होनें एवं तामिली रिपोर्ट में क्त व्यक्तियों यहां निवास नहीं किये जानें की सूचना के अंकन एवं वादी के आदेश 05 नियम 20 सीपीसी के अर्न्तगत प्रार्थना बाबत् प्रति स्थापित तामिली समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन द्वारा करवायें जाने बाबत् प्रस्तुत करनें पर न्यायालय हाजा आदेश दिनांक 12.12.2012 द्वारा वादी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार होनें एवं न्यायालय के आदेश से दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 24.10.2017 को प्रकाशित सम्मन प्रकाशित करनें एवं अखबार की प्रति न्यायालय हाजा को प्रस्तुत किये जानें एवं प्रकाशन के एक माह गुजर जानें के बावजूद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध दिनांक 23.07.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 641 रकबा 16-03 बीघा किस्म बारानी दोयम जिस पर भू प्रबन्ध पूर्व से, भू प्रबन्ध के दौरान व भू प्रबन्ध के पश्चात् तथा वर्तमान में वादी के पिता बिरदाराम पुत्र रावत राम एवं उनके पश्चात वादी एवं वादी के वारिसान का बतौर खातेदार कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवर्ष फसल भी बिरदाराम द्वारा बोई एवं भोगी जाती थी। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010-2020 में इसका अंकन है। वक्त सेटलमेन्ट कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होनें की तिथि को जो कृषि भूमि जिस काश्तकार द्वारा कब्जे काश्त एवं उपभोग में थी उसे भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। जिसे विलोपित किया जाकर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व डिक्री जारी कि जावें।

2. वादी द्वारा बतौर साक्ष्य वादी PW-1- वादी पप्पुराम पुत्र हापूराम का साक्ष्य शपथ पत्र, PW-2- वादी के पक्ष में साक्षी चैनाराम पुत्र गोकलराम का साक्ष्य शपथ पत्र, PW-3- वादी के पक्ष में साक्षी रतनाराम पुत्र शिवराम का साक्ष्य शपथ पत्र, प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2066-2069, प्रदर्श-2 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2036-2040, प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2033-2036, प्रदर्श-4 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2029-2032, प्रदर्श-5 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2025-2028, प्रदर्श-6 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2021-2024, प्रदर्श-7 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2017-2020, प्रदर्श-8 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2042-2045, प्रदर्श-9 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2046-2049, प्रदर्श-10 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2050-2053, प्रदर्श-11 नकल जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2054-2057, प्रदर्श-12 खसरा गिरदावरी ग्राम खराड़ी चौसाला सम्वत् 2010-2013, प्रदर्श-12 खसरा गिरदावरी ग्राम खराड़ी चौसाला सम्वत् 2010-2013, प्रदर्श-13 खसरा गिरदावरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.08 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

म खराड़ी चौसाला सम्वत् 2014-2017, प्रदर्श-14 खसरा गिरदावरी ग्राम खराड़ी साला सम्वत् 2018-2021 प्रदर्श करवाये गये।

. जमाबन्दी ग्राम खराड़ी सम्वत् 2016-2020 प्रदर्श-7 में वादग्रस्त आराजी मिश्रीलाल, मोहनलाल महाजन बतौर खातेदार व मार्फत बिरदा वल्द रावत कौम जाट सा0 देह अंकित है। आगामी जमाबन्दीयां प्रदर्श-6 सम्वत् 2021-2024, प्रदर्श-5 सम्वत् 2025-2028, प्रदर्श-4 सम्वत् 2029-2032, प्रदर्श-3 सम्वत् 2033-2036, प्रदर्श-2 सम्वत् 2036-2040, प्रदर्श-1 सम्वत् 2066-2069, प्रदर्श-8 सम्वत् 2042-2045 सभी में इसी मुताबिक प्रविष्टियां अंकित है। वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010, 2011, 2012, 2013 प्रदर्श-12 में वादग्रस्त आराजी में मिश्रीया एवं मोहनलाल पि0 किशनलाल को कॉलम संख्या 05- (नाम भू अधिकारी, जागीरदार, उपजागीरदार, मालगुजार, बिस्वेदार या जमींदार का विवरण) में पसायतादार अंकित हैं तथा तथा कॉलम संख्या 6(कृषक का विवरण) में बिरदा वल्द रावत कौम जाट सा0 देह अंकित है तथा काश्त के रूप में बाजरी, चिणा, आदि अंकित है। इसी प्रकार आगामी खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत् 2014, 2015, 2016 में भी यही प्रविष्टियां बदस्तुर अंकित है। आगामी खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत् 2018, 2019, 2020, 2021 में मिश्रीलाल व मोहनलाल महाजन सा0 देह मार्फत बिरदा पुत्र रावत जाट सा0 देह अंकित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजात् से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेट्लमेन्ट के पूर्व से, भू प्रबन्ध के दौरान एवं बाद में वादी के पिता बिरदा पुत्र रावत के उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में रही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त आराजी पर कभी भी काश्तकार नहीं रहे है तथा भू प्रबन्ध के दौरान एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होनें की तिथि 15.10.1955 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम भू अधिकारी, जागीरदार, उपजागीरदार, मालगुजार, बिस्वेदार या जमींदार का विवरण की श्रेणी में बतौर पसायतदार दर्ज था न की बतौर काश्तकार दर्ज था।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(22) द्वितीय अनुसुची की प्रविष्टि संख्या 35 में पसायता को जागीर भूमि के अर्न्तगत शामिल माना गया है। भू अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की खुदकाश्त भूमि नहीं रही है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अध्याय 03 की धारा 09 के विधिक प्रावधानों के अनुसार खुदकाश्त जागीर भूमि पर जागीरदार, खातेदार हो जायेगा, लेकिन खुदकाश्त के अलावा अन्य जागीर भूमियां उक्त अधिनियम लागू होनें के साथ ही जागीर भूमि से मुक्त हो गई तथा ऐसी जागीर भूमियां इन पर काश्त करनें वाले काश्तकार की खातेदारी में दर्ज [illegible] विधिक प्रावधान हुबहु लागू होते हैं क्योंकि उपलब्ध भू अभिलेख अ[illegible]दीगण सम्वत् 2010 अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] पूर्व वादग्रस्त आराजी में पसायतदार के रूप में दर्ज थे तथा [illegible]श्तकार दर्ज थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(22) द्वितीय [illegible]नुसुची की प्रविष्टि संख्या 35 के अनुसार पसायता श्रेणी को जागीर भूमि के अर्न्तगत माना गया है तथा ऐसे पसायता का 1952 के राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होनें के साथ ही समस्त अधिकार समाप्त हो गये थे तथा इसी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

धारा 09 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर सम्बन्धित काश्तकार को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके थे। भू प्रबन्ध कार्यवाही एवं भू अभिलेख अद्यतन् कार्यवाही के दौरान यह आवश्यक था कि ऐसे पसायतदारों का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुये ऐसी भूमियों पर कृषि कार्य कर रहे सम्बन्धि काश्तकारों को बतौर खातेदार दर्ज किया जाता जो कि नहीं किया गया तथा यह विधिक भूल थी तथा इससे खातेदार काश्तकार के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

5. ***राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 में यह विधिक प्रावधान है कि " खातेदार अभिधारी–(1) धारा 16 और धारा 180 की उपधारा(1) के खण्ड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, भूमि का उप–अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी हैं जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, उप–अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956(1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 101 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या अनुसार भूमि के आंबटिती से अन्यथा अभिधारी के रूप में मान लिया गया है, या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952(1952 का राजस्थान अधिनियम 6) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है, खातेदार अभिधारी होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का हकदार होगा और अधिरोपित समस्त दायित्वों के अध्यधीन होगा। "***

इस प्रकार वादी के पिता एवं वादग्रस्त आराजी में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के दौरान भू अभिलेख में बतौर काश्तकार दर्ज बिरदाराम पुत्र रावत 1952 के अधिनियम की धारा 09 एवं 1955 के अधिनियम 15 के अर्न्तगत वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार का हकदार हो चुका था तथा वादी ऐसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का विधिक रूप से अधिकारी है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में आरम्भ से ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम की दर्ज प्रविष्टियां प्रभाव शून्य एवं विधि विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता बिरदाराम पुत्र रावत के हक में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होनें की तिथि अर्थात् 15.10.1955 को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके होनें के कारण वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों घोषणा किया जाना न्याय संगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ज0 के खसरा संख्या 641 रकबा 16-03 बीघा किस्म बारानी दोयम के अधिकार भिलेख में त्रुटिपूर्ण से अंकित प्रविष्टियां *"मिश्रीलाल, मोहनलाल पि0 किशनलाल कौम महाजन सा0देह खातेदार मार्फत बिरदा पुत्र रावत कौम जाट सा0 देह"* को विलोपित करते हुये वादी हापूराम के विधिक वारिसान ***पप्पुराम पुत्र हापूराम, अणदा देवी पत्नी हापूराम, रूकमा पुत्री हापूराम, गीता पुत्री हापूराम, शोभा पुत्री हापूराम*** को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदर्मे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 318/2011

CCMS No. : 2011/00195

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. हापूराम पुत्र बिरदाराम के का0मु0
   - 1/1. पप्पुराम पुत्र हापूराम
   - 1/2. अणदा देवी पत्नी हापूराम
   - 1/3. रूकमा पुत्री हापूराम
   - 1/4. गीता पुत्री हापूराम
   - 1/5. शोभा पुत्री हापूराम

   जातियान- जाट, निवासीगण- खराड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. मिश्रीलाल पुत्र किशनलाल
2. मोहनलाल पुत्र किशनलाल
   जातियान- महाजन, निवासीगण- खराड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
3. तहसीलदार जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 92ए,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :- रा0वा0 स0: 318/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा-88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 641 रकबा 16-03 बीघा किस्म बारानी दोयम के अधिकार अभिलेख में त्रुटिपूर्ण से अंकित प्रविष्टियां ***"मिश्रीलाल, मोहनलाल पि0 किशनलाल कौम महाजन सा0देह खातेदार मार्फत बिरदा पुत्र रावत कौम जाट सा0 देह"*** को विलोपित करते हुये वादी हापूराम के विधिक वारिसान ***पप्पुराम पुत्र हापूराम, अणदा देवी पत्नी हापूराम, रूकमा पुत्री हापूराम, गीता पुत्री हापूराम, शोभा पुत्री हापूराम*** को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख में इसी मुताबिक अमल दरामद करें। वादपत्र इसी मुताबिक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस [illegible] सूद व शहर .... -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल [illegible] [illegible]/03/2021 को जारी

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत [illegible] किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी)जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	02	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	13	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	22	-00	मिजानः-	Nil	-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:37:35 IST
Reason: SelfAttested